सचिव, सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं अन्य।

बनाम

ग्रेड- I दास ऑफिसर्स एसोसिएशन और अन्य

(2009 की सिविल अपील संख्या 5153-5157)

जुलाई 30, 2014

[विक्रमजीत सेन एवं शिवा कीर्ति सिंह, जेजे.]

सेवा कानून:

सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना (एसीपीएस), 1999-24 वर्ष पूरे होने पर दूसरा वित्तीय उन्नयन -दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा (डीएएसएस) ग्रेड -1, यानी, फीडर ग्रेड और अगला प्रमोशनल ग्रेड,यानी, दिल्ली अंडमान और निकोबार द्वीप सिविल सेवा (DANICS) ग्रेड- II, समान वेतन ग्रेड में होना DANICS ग्रेड-II के बजाय DANICS ग्रेड-I में दूसरे वित्तीय उन्नयन के लिए DASS ग्रेड-1 के प्रतिवादी सदस्यों का दावा अधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई -माना गया: राज्य की ओर से निष्पक्षता एक संवैधानिक दायित्व है और इसलिए, एक वेतनमान, जो नियमित रूप से पदोन्नत कर्मचारी को नहीं मिल सकता है, पदोन्नति के लिए स्थापित पदानुक्रम को इस आधार पर प्रत्यर्थीयों जैसे

लोगों को नहीं दिया जा सकता है कि मौजूदा पदानुक्रम के अनुसार जिस वित्तीय उन्नयन के लिए वे हकदार पाए जाते हैं वह बहुत कम है। एसीपीएस में शर्तों और नियमों को देखते हुए, वित्तीय उन्नयन अगले उच्च ग्रेड में स्वीकार्य है किसी कैडर/पदों की श्रेणी में मौजूदा पदानुक्रम के अनुसार ही, इस उद्देश्य के लिए नए पद सृजित किए बिना एसीपीएस के तहत वित्तीय उन्नयन न केवल बदले में है, बल्कि नियमित पदोन्नति की प्रत्याशा में भी है, ऐसी स्थिति में, वित्तीय उन्नयन हेतु प्रत्यर्थीयों द्वारा किए गए दावे को अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि यह अधिकारी को पदानुक्रम में वास्तविक पदोन्नति पर मिलने वाले लाभ से कहीं अधिक होगा, मामले के तथ्यों में, सरकार के नीतिगत निर्णय को पलटा या संशोधित किया जा सके इसलिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। और यह निष्पक्षता एवं संविधान के आर्टिकल 14 और 16 के नियमों का उल्लंघन होगा। प्रत्यर्थीयों के दावे को न्यायाधिकरण द्वारा सही ढंग से खारिज किया गया- भारत के संविधान, 1950 -आर्टिकल 14, 16 एवं 226 -भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, ओ.एम. क्रमांक 35034/1/97-स्था. दिनांक 18.7.2001- स्पष्टीकरण 52.

उत्तरदाता, जिन्हें दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा (डीएएसएस) में ग्रेड- II के रूप में नियुक्त किया गया था, और 24 वर्ष पूरे होने पर

डीएएसएस ग्रेड- I के पद पर पदोन्नत किया गया था, वे दूसरे वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र थे। दिल्ली अंडमान और निकोबार द्वीप सिविल सेवा (DANICS) के तहत DASS का ग्रेड- I 6500-200-10500 रुपये का वेतनमान पदानुक्रम में अगले प्रमोशनल ग्रेड जो ग्रेड- II (ग्रुप बी) था के लिए फीडर ग्रेड था, लेकिन डैनिक्स का ग्रेड- II (ग्रुप बी) का वेतनमान भी समान था, 6500-200-10500/-. स्पष्टीकरण 52 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ओ.एम. द्वारा जारी क्रमांक 35034/1/97-स्था. दिनांक 18.7.2001 किया गया था, इस आशय से कि चूंकि पदानुक्रम में फीडर और प्रमोशनल ग्रेड समान वेतनमान में थे, एसीपीएस के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ समान वेतनमान में और एसीपीएस कि शर्त संख्या 9 के अनुसार अनुमति दी जानी थी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी ओ.एम. दिनांक 10.2.2000, वेतन एफ.आर.22 (1) (ए) (आई) के प्रावधानों के तहत 100/- रुपये के न्यूनतम लाभ के अधीन तय किया जाएगा।. प्रत्यर्थीयों का अभ्यावेदन कि उन्हें 10,000-325 -15200 रुपये के पैमाने पर उन्नयन प्रदान किया जाना चाहिए। जो कि DANICS के ग्रेड-एल (ग्रुप ए) के लिए वेतनमान था, को अस्वीकार कर दिया गया। उनके ओ.ए. अधिकरण द्वारा भी खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने उनकी रिट याचिकाएँ स्वीकार कर लीं।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए निर्धारित किया

1.1. प्रासंगिक शर्तों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना (एसीपीएस) केवल उन पात्र सरकारी कर्मचारियों को उच्च वेतनमान/वित्तीय लाभ प्रदान करती है जो नियमित पदोन्नति से वंचित रह जाते हैं। इस तरह के अभाव के लिए, उन्हें व्यक्तिगत आधार पर मौद्रिक लाभ के अनुदान द्वारा मुआवजा दिया जाता है, लेकिन यह कार्यात्मक/नियमित पदोन्नति की राशि नहीं है और नए पदों के सृजन की आवश्यकता नहीं है। अनुबंध में निहित शर्तों की शर्त संख्या 7 के अनुसार सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना, इस उद्देश्य के लिए नए पद सृजित किए बिना केवल कैडर/पदों की श्रेणी में मौजूदा पदानुक्रम के अनुसार अगले उच्च ग्रेड में वित्तीय उन्नयन स्वीकार्य है। [पैरा 11] [988-ई-जी]

1.2. शर्त संख्या 9 इंगित करती है कि एसीपी योजना के तहत उन्नयन पर वेतन के पुनर्निर्धारण से संबंधित कार्यालय ज्ञापन के अनुसार न्यूनतम 100/- रुपये का लाभ मिलना चाहिए। यह भी स्पष्ट करता है कि एसीपी योजना के तहत वित्तीय लाभ अंतिम है और नियमित पदोन्नति के समय, यानी उच्च ग्रेड में एक कार्यात्मक पद पर पोस्टिंग के समय कोई वेतन निर्धारण लाभ अर्जित नहीं होगा। तात्पर्य है कि [पैरा 12] [989-सी-डी]

1.3. स्पष्टीकरण 52 ओ.एम. द्वारा दिनांक 18.7.2001 जारी किया गया,को एसीपीएस की शर्तों एवं प्रावधानों के अनुरूप पाया गया है। उच्च

न्यायालय ने यह विचार करने में गलती की कि यह एसीपी योजना में बुनियादी प्रावधानों को प्रतिस्थापित करता है। वास्तव में, स्पष्टीकरण, सर्वोत्तम रूप से, योजना के प्रावधानों का पूरक है और ऐसा करने के लिए इसे गलत नहीं ठहराया जा सकता है। [पैरा13] [989-एफ]

1.4. एसीपीएस में प्रावधानों और शर्तों को देखते हुए, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एसीपीएस के तहत वित्तीय उन्नयन न केवल बदले में है, बल्कि नियमित पदोन्नति की प्रत्याशा में भी है। ऐसी स्थिति में, अपीलकर्ताओं ने सही ढंग से प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थीयों द्वारा दावा किया गया वित्तीय उन्नयन नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह उससे कहीं अधिक होगा जो अधिकारी को पदानुक्रम में वास्तविक पदोन्नति होने पर प्राप्त होगा । परिणाम स्वरूप, प्रत्यर्थीयों के ऐसे दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए कि वास्तविक पदोन्नति पर बेहतर दावे करने वाले व्यक्तियों को केवल DANICS के ग्रेड II (ग्रुप बी) के पदोन्नति पद पर ही नियुक्त किया जा सकता है, यानी 6500-200-10500/ - जबकि प्रत्यर्थीयों को, उनके दावे स्वीकार किए जाने पर, 10000-325-15200/- रु. का उच्च वेतनमान मिलेगा जो केवल DANICS में ग्रेड- I (ग्रुप ए) के लिए उपलब्ध है। ऐसी स्थिति भारत के संविधान के निष्पक्षता के नियमों और आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन होगा। राज्य की ओर से निष्पक्षता एक संवैधानिक दायित्व है और

इसलिए, एक वेतनमान, जो ग्रेड । (DASS) से संबंधित नियमित रूप से पदोन्नत कर्मचारी को पदोन्नति के लिए स्थापित पदानुक्रम के कारण नहीं मिल सकता है, प्रत्यर्थीयों जैसे व्यक्तियो को इस कारण से नहीं दिया जा सकता है कि मौजूदा पदानुक्रम के अनुसार जिस वित्तीय उन्नयन के वे हकदार पाए जाते हैं वह बहुत कम है। [पैरा 14] [989-जी-एच; 990-ए-डी]

1.5. नियमित पदोन्नतियों के प्रति घोर अन्याय होने के अलावा, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एसीपीएस में निर्धारित शर्तों और उससे जुड़ी शर्तों द्वारा परिलक्षित सरकारी नीति का भी उल्लंघन करेगा, क्योंकि प्रत्यर्थीयों द्वारा दावा किया गया लाभ केवल उन तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि एसीपीएस द्वारा प्रतिबिंबित सरकार की नीति को आने वाले समय में गलत व्याख्या का सामना करना पड़ेगा और परिणाम भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 व 16 में प्रदत्त निष्पक्षता के नियमों का उल्लंघन है। मामले के तथ्यों में, सरकार के नीतिगत निर्णय को उलटने या संशोधित करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। तदनुसार, उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया जाता है और, परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थीयों द्वारा दायर रिट याचिकाएं खारिज की जाती है। [पैरा 15-17] [990-जी; 991-डी-एफ]

तमिलनाडु सरकार और अन्य बनाम एस अरुमुघम और अन्य। 1997

(5) सप्ल. एससीआर 295 = (1998) 2 एससीसी 198 -पर आश्रय लिया।

भारत संघ बनाम प्रकाश चंद एवं अन्य। 132 (2006) डीएलटी 525;

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद एवं अन्य। वी.

के.जी.एस. भट्ट एवं अन्य. (1989) 4 एससीसी 635 विशिष्टीकृत किया।

-

केस कानून संदर्भ:

1997 (5) सप्लीमेंट्री एससीआर 295 पर भरोसा किया पैरा-8

132 (2006) डीएलटी 525. विशिष्टीकृत किया पैरा-9

1989 (4) एससीसी 635 विशिष्टीकृत किया पैरा-9

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5153-5157/2009

दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली, की 2004 की रिट याचिका सिविल संख्या 5883-87 में दिनांक 15.02.2008 के निर्णय और आदेश से के विरूद्ध

के. राधाकृष्णन, आर. के राठौड़, रेखा पांडे, रश्मि मल्होत्रा, आर.एस. नागर, डी.एस. माहरा, अपीलकर्ताओं के लिए ।

टी.एस. टोबिया, किरण भारद्वाज,अविनाश अहलावत, रानी छाबड़ा प्रत्यर्थीयों के लिए **न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया।**

शिवा कीर्ति सिंह, जे.

1. इन अपीलों में प्रत्यर्थी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली (संक्षेप में, 'न्यायाधिकरण') के समक्ष आवेदक थे। उन्होंने ओ.ए. नम्बर 579/2002 पेश कर दिनांक 10.8.2001 के आदेश को रद्द करने की मांग की और 10000-325-15200/- रुपये का वेतनमान उन्हें और ग्रेड-1 (डीएएसएस) ऑफिसर्स एसोसिएशन के अन्य सभी सदस्यों को 24 साल की नियमित सेवा पूरी करने की तारीख से या 9.8.1999, जो भी बाद में हो, देने का निर्देश मांगा।

2. उपरोक्त दावा दिनांक 9.8.1999 से शुरू की गई सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना (संक्षेप में, 'एसीपीएस') पर आधारित था। जो, अन्य विषयों के साथ-साथ, केंद्र सरकार के ऐसे सिविल कर्मचारियों को उनके24 साल की नियमित सेवा पूरी करने पर दूसरे वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करता है जिनका प्रमोशन नही हुआ है। अपने सेवा कार्यकाल के दौरान दो

पदोन्नति नहीं दी गई। विवाद व विवाद की पृष्ठभूमि में कुछ प्रासंगिक तथ्य उत्पन्न हुए जो इस प्रकार हैं।

3. प्रत्यर्थीयों को दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा (संक्षेप में, 'DASS') में ग्रेड-II के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 1986 और 1989 के बीच ग्रेड-I के पद पर पदोन्नत किया गया था। उन्होंने 1998 और 2001 के बीच 24 साल की नियमित सेवा पूरी कर ली थी और इस प्रकार वे 9.8.1999 या 24 साल की सेवा पूरी होने की तारीख, जो भी बाद में हो, से दूसरे वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र थे। DASS के ग्रेड-II का वेतनमान 5000-150-8000/- रुपये था और ग्रेट-I का वेतनमान 6500-200-10500/- रुपये था। DASS का ग्रेड-I पदानुक्रम में अगले प्रमोशनल ग्रेड के लिए फीडर ग्रेड था जो दिल्ली अंडमान और निकोबार द्वीप सिविल सेवा (संक्षेप में, 'DANICS') के तहत ग्रेड-II (ग्रुप बी) था, लेकिन दुर्भाग्य से ग्रेड-II DANICS के (ग्रुप बी) का भी समान वेतनमान 6500-200-10500/- रुपये था। चूँकि फीडर और प्रमोशनल ग्रेड, पदानुक्रम में दो स्तरों पर होते हुए भी, समान वेतनमान थे, इसलिए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा ओ.एम. के माध्यम से स्पष्टीकरण 52 जारी किया गया था। क्रमांक 35034/1/97-स्था. (डी)/खंड IV दिनांक 18.7.2001, इस आशय का जारी किया कि चूंकि पदानुक्रम में फीडर और पदोन्नति क्रम समान वेतनमान में थे, एसीपीएस के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ समान

वेतनमान में दिया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि एसीपीएस के तहत मौजूदा पदानुक्रम के अनुसार वित्तीय उन्नयन की अनुमति दी जानी है। अगले पदोन्नति क्रम से अधिक स्केल में वित्तीय उन्नयन की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालाँकि, ऐसे मामलों में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन के शर्त संख्या 9 के अनुसार दिनांक 10.2.2000, वेतन एफ.आर.22(1)(ए)(1) के प्रावधानों के तहत निर्धारित किया जाएगा, जो न्यूनतम 100/- रुपये के लाभ के अधीन होगा।

4. प्रत्यर्थीयों ने एफ.आर.22(1)(ए)(1) के तहत लाभ को बहुत कम होना बताते हुए अनुतोष चाहा कि वित्तीय उन्नयन वास्तविक होना चाहिए और इसके लिए 10000-325-15200/- रुपये का वेतनमान मिलना चाहिए जोकि DANICS में ग्रेड-1 (ग्रुप ए) का वेतनमान था।

5. चूंकि DASS के ग्रेड-I के लिए पदोन्नति का सामान्य चैनल DANICS का ग्रेड-II (ग्रुप B) था, न कि DANICS में पदानुक्रम में उच्चतर पद, ग्रेड-1 (ग्रुप A), इसलिए अपीलकर्ताओं ने प्रत्यर्थीयों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन जो कि O.A.No.579/2002 पर आधारित था, को अस्वीकार कर दिया। उस ओ.ए. में, अधिकरण ने योजना के अनुबंध । में निहित एसीपीएस के प्रावधानों और शर्तों पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रत्यर्थीयों का तर्क है कि चाहे उन्हें किसी भी पदानुक्रम में रखा गया हो, उन्हें वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाना चाहिए जो कि वेतनमान

पदानुक्रमित पदोन्नति से बहुत अधिक है, वह एसीपीएस की स्वीकार्य व्याख्या नहीं थी। अधिकरण ने एसीपीएस में यह निर्धारित पाया कि वित्तीय उन्नयन केवल अगले उच्च ग्रेड में होना है, लेकिन यह एक शर्त के साथ है कि इस तरह का उन्नयन नए पद सृजित किए बिना कैडर में मौजूदा पदानुक्रम के अनुसार होना चाहिए। अधिकरण ने एसीपीएस दिनांक 9.8.1999 के अनुलग्नक के पैरा 7 का अवलम्ब लिया । अधिकरण ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि स्पष्टीकरण संख्या 52 दिनांक 18.7.2001 योजना के विपरीत था।

6. अधिकरण के दिनांक 8.12.2003 के निर्णय और आदेश के खिलाफ, प्रतिवादियों ने पुर्निविचार आवेदन संख्या 49/2004 अधिकरण में दायर की, जिसे 12.2.2004 को अधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद, प्रतिवादियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष के सिविल रिट याचिकाएं Nos.5883-5887/2004 के तहत दायर की, जिन्हें दिनांक 15.2.2008 के अपील के तहत फैसले और आदेश द्वारा स्वीकार किया गया है, जिससे यह सिविल अपील प्रस्तुत हुई। इस कोर्ट द्वारा अंतरिम स्थगन जारी किया गया और इसके परिणामस्वरूप, अपीलाधीन आदेश से होने वाले लाभ प्रत्यर्थीयों को अभी तक उपलब्ध नहीं हुए है।

7. उच्च न्यायालय के फैसले को आक्षेपित करते हुए जिसमें अपीलार्थी को प्रत्यर्थी का पदस्थापन पदानुक्रम के अगले क्रम के आगे

यानी 10000-325-15200/- द्वितीय पदानुक्रम में आदेशित किया था, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. राधाकृष्णन ने उल्लेखित किया कि पहले यह बताया जा चुका है कि एसीपीएस के प्रावधानों व विशेष रूप से शर्त संख्या 1, 5.1, 7, 8, 9, 10 और 12 पर प्रकाश डाला । उन्होंने पत्र दिनांक 11.7.2000 का उल्लेख किया जिसको उच्च न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 17 में भी विचार में लिया गया है। संदेह (1) पूरी तरह से अलग तथ्य स्थिति पर आधारित था और इसलिए प्रत्यर्थीयों के मामले में उस संदेह के सम्बन्ध में दिया स्पष्टीकरण लागू नहीं होता है। उन्होंने ओ.एम. दिनांक 18.7.2001 जिसमें स्पष्टीकरण संख्या 52 शामिल था, के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय पारित प्रतिकूल निष्कर्ष को आक्षेपित किया। उनके अनुसार,अपीलकर्ताओं की यह दलील कि एसीपीएस के तहत प्रत्यर्थीयों को सामान्य पदोन्नतियों के लिए पदानुक्रम के तहत प्रदान किए गए पैमाने से अधिक पैमाने पर नहीं रखा जा सकता है, को भी फैसले के पैराग्राफ 19 में गलत तरीके से अस्वीकार किया गया है।

8. अपीलकर्ताओं की ओर से आगे यह भी तर्क दिया गया है कि एसीपीएस एक नीतिगत निर्णय है जिसके तहत वित्तीय उन्नयन का भार हार माह जारी रहता है और इसलिए अपीलकर्ताओं के पास इन अपीलों को इस आधार पर भी प्रस्तुत करने के महत्वपूर्ण कारण हैं कि उच्च न्यायालय को उस राहत की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी जो राज्य की

नीति को बदलने के समान है। उन्होंने तमिलनाडु सरकार और अन्य बनाम एस अरुमुघम और अन्य (1998) 2 एससीसी 198 में दिए गए इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया।

वह मामला तमिलनाडु सिविल सेवा में डिप्टी कलेक्टरों के रूप में पदोन्नति को नियंत्रित करने वाली पदोन्नति नीति से संबंधित है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने योजना को एक विशेष तरीके से फिर से तैयार करने के लिए सरकार को कुछ निर्देश जारी किए थे। इसकी आलोचना करते हुए यह निर्धारित किया गया कि जब मामला सरकार के नीतिगत निर्णय से संबंधित हो तो ऐसी न्यायिक समीक्षा की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

9. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीयों की तरफ से उपस्थित वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री टी.एस. दोआबीया द्वारा यह निवेदन किया गया है कि वित्तीय क्रमोन्नयन जो की एसीपीएस में अपेक्षित है वह वित्तीय उन्नयन सेवा में ठहराव एवं सेवा में आने वाली परेशानियों से निपटने के लिए है। पर्याप्त पदोन्नति के अवसरों की कमी के कारण कर्मचारियों को केवल 100/- रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाना है। उच्च वेतनमान में नियुक्ति के बराबर नहीं हो सकता। उनके अनुसार योजना के अनुलग्नक 1 की शर्त संख्या 1 के अनुसार उच्च वेतनमान में वित्तीय लाभ/नियुक्ति प्रदान करना है। जिसका अर्थ वास्तविक उच्च वेतनमान में नियुक्ति है, जब फीडर पोस्ट

और प्रमोशनल पोस्ट का वेतनमान समान पाया जाता,उच्च न्यायालय द्वारा सही व्याख्या की गयी है। उनके अनुसार, अधिकरण द्वारा अपने फैसले के पैराग्राफ 13 में योजना के अनुबंध । में निहित शर्तों के पैराग्राफ 7 पर की गई व्याख्या और निर्भरता शर्तों संख्या 10 और 12 की रोशनी में गलत है। उन्होंने अपग्रेड शब्द का न्यू शॉर्टर ऑक्सफ़ोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में वर्णित अर्थ का उल्लेख कर कहा कि 'अपग्रेड' का अर्थ है,अन्य बातों के साथ 'एक अतिरिक्त सुविधा या वृद्धि'। उन्होंने भारत संघ बनाम प्रकाश चंद और अन्य 132 (2006) DL-Pay 525 का एवं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक

अनुसंधान परिषद एवं अन्य बनाम के.जी.एस. भट्ट एवं अन्य. (1989) 4 एससीसी 635 के निर्णय का आश्रय लिया।

प्रस्तुत विरोधाभाषी तथ्यों के आलोक में व प्रासंगिक मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले, 9.8.1999 के एसीपीएस के अनुबंध । में निहित प्रासंगिक शर्तों को उल्लेख करना उपयोगी होगा, अर्थात, शर्त संख्या 1, 5.1, 7, 8, 9, 10 (भाग) और 12: का उल्लेख आवश्यक है।

> "1. एसीपी योजना केवल व्यक्तिगत आधार पर संबंधित सरकारी कर्मचारी को उच्च वेतनमान में नियुक्ति/ वित्तीय लाभ (वित्तीय उन्नयन के माध्यम से) देने की परिकल्पना करती है और इसलिए यह न तो कार्यात्मक/नियमित

पदोन्नति होगी और न ही इस प्रयोजन के लिए नये पदों के सृजन की आवश्यकता होगी

5.1 एक कर्मचारी के सम्पूर्ण सरकारी सेवा कैरियर में एसीपी योजना के तहत दो वित्तीय उन्नयन नियमित पदोन्नित (स्वस्थानी पदोन्नति सहित, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से अर्जित किये) के विरूद्ध गिना जावेगा। जिसमें एक कर्मचारी सीधे भर्ती के रूप में नियुक्त किया गया था। इसका अर्थ यह है कि एसीपी योजना के तहत दो वित्तीय उन्नयन केवल तभी उपलब्ध होंगे जब एक कर्मचारी द्वारा निर्धारित अवधि (12 व 24 वर्ष) के दौरान कोई नियमित पदोन्नति नहीं ली गई हो। यदि किसी कर्मचारी को पहले से एक नियमित पदोन्नति मिल चुकी है तो वह एसीपी योजना के तहत नियमित सेवा के 24 वर्ष पूर्ण होने पर ही द्वितीय वित्तीय उन्नय के लिए अर्हता रखेगा। अगर किसी कर्मचारी द्वारा नियमित आधार पर दो पूर्व पदोन्नति पहले से प्राप्त की गई हों तो एसीपी योजना के तहत उसे कोई लाभ नहीं होगा।

5-2 _____

7. इस योजना के तहत कैडर/श्रेणी में मौजूदा पदानुक्रम के अनुसार अगले उच्च श्रेणी के लिए वित्तीय उन्नयन इस प्रयोजन के लिए नए पद बनाए बिना दिया जावेगा, हालांकि विलग पदों के मामलें में परिभाषित पदानुक्रमित ग्रेड के अभाव में सम्बन्धित मंत्रालयों, विभागों द्वारा वित्तीय

उन्नयन तुरन्त अगले उच्च (मानक/समन में) वेतनमान में दिया जावेगा जैसा की अनुबंध-II में दर्शाया है। वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की 30 सितंबर 1997 की अधिसुचना के साथ संलग्न पहली अनुसूची के भाग- ए के साथ। उदाहरण के लिए वेतनमान एस-4 में पृथक पदों के पदाधिकारी, जैसा की अनुबंध-II में दर्शाया गया हैख् केवल वेतनमान एस-5 एवं एस-6 में प्रस्तावित दो वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र होंगे। पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा गतिशील आधार पर वित्तीय उन्नयन (अर्थात प्रासंगिक वेतनमान में पद सृजित किए बिना) की सिफारिश केवल पृथक पदों के पद धारियों के लिए की गयी है जिनके पास पदोन्नति का रास्ता नहीं है। चूंकी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन पृथक पद के पदधारी के लिए व्यक्तिगत होगा, इसलिए रिक्त होने पर इसे उसके मूल स्तर (वेतनमान) पर भरा जाएगा। वे पद जो एक अच्छी तरह से परिभाषित कैडर का हिस्सा हैं वे गतिशील आधार पर एसीपी के लिए योग्य नहीं होंगे। उनके मामले में एसीपी लाभ केवल मौजूदा पदानुक्रमित संरचना के अनुरूप प्रदान किया जावेगा।

8. एसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन कर्मचारी के लिए पूरी तरह से व्यक्तिगत होगा और उसकी वरिष्ठता स्थिति से कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। इस प्रकार, वरिष्ठ कर्मचारी के लिए इस आधार पर कोई

अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन नहीं होगा कि ग्रेड में कनिष्ठ कर्मचारी को एसीपी योजना के तहत वेतनमान मिला है;

9. एसीपी योजना के तहत उन्नयन पर,कार्मिक विभाग के अनुसार एक कर्मचारी का

वेतन एफआर 22(1)(ए)(1) के प्रावधानों के तहत न्यूनतम वित्तीय लाभ 100/रू० के वित्तीय लाभ के अधीन तय किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यालय ज्ञापनसंख्या 1/6/97-वेतन I, दिनांक 5 जुलाई 1999 एसीपी योजना के तहत अनुमत वित्तीय लाभ अंतिम होगा और नियमित पदोन्नति के समय कोई वेतन-निर्धारण लाभ अर्जित नहीं होगा। यानी, उच्च श्रेणी में कार्यात्मक पद के विरूद्ध;

10. एसीपी योजना के तहत उच्च वेतनमान का अनुदान इस शर्त पर होगा कि एक कर्मचारी ने उक्त लाभ स्वीकार करते समय, बाद में रिक्ति होने पर नियमित पदोन्नति के लिए अपनी अयोग्य स्वीकृति दे दी है। यदि वह बाद में नियमित पदोन्नति पर उच्च पद स्वीकार करने से इनकार करता है, तो उसे इस संबंध में सामान्य निर्देशों के अनुसार नियमित पदोन्नति के लिए सामान्य प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा।

12. प्रस्तावित एसीपी योजना उच्च वेतनमान में व्यक्तिगत आधार पर नियुक्ति केवल वित्तीय लाभ देने पर विचार करती है और संबंधित

कर्मचारियों की वास्तविक/कार्यात्मक पदोन्नति नहीं होगी। चूंकि पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में आदेश केवल नियमित पदोन्नति के मामले में लागू होते हैं, आरक्षण आदेश/रोस्टर एसीपी योजना पर लागू नहीं होंगे, जो सभी पात्र एससी/ एसटी कर्मचारियों को भी समान रूप से इसका लाभ प्रदान करेगा। हालाँकि, नियमित/कार्यात्मक (वास्तविक) पदोन्नति के समय, कैडर नियंत्रण प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी आरक्षण आदेश सख्ती से लागू हों;"

10. वर्तमान विवाद के लिए ओ.एम. में निहित स्पष्टीकरण 52. दिनांक 18.7.2001 प्रासंगिक है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

संदेह के बिंदु	स्पष्टीकरण
अगले वेतन आयोग की सिफ़ारिशों, फीडर और प्रमोशनल पदों को एक ही स्केल में रखा गया है. नतीजतन, किसी पद के पदानुक्रम में ग्रेड 'ए', 'ए' और 'सी' शामिल होते हैं यानी -प्रवेश स्तर और प्रथम पदोन्नति ग्रेड एक ही पैमाने पर होते हैं। एसीपीएस के तहत उसकी जो भी	सामान्यतः फीडर ग्रेड को समान वेतनमान में रखना गलत है। ऐसे मामलों में, उचित कार्रवाई कैडर संरचना की समीक्षा करना है। यदि पुनर्गठन के रूप में, फीडर और प्रमोशनल पदों को पदानुक्रम में एक एकल स्तर बनाने के लिए विलय कर दिया जाता है,

पात्रता होगी	तो ऐसे मामले में, अगला वित्तीय उन्नयन मर्ज किए गए स्तरों के ऊपर अगले पदानुक्रमित ग्रेड में होगा और यदि अतीत में किसी पदोन्नति की अनुमति दी गई है जिन ग्रेडों का विलय हो गया है, उन्हें नजरअंदाज करना होगा जैसा कि ओ.एम. दिनांक 10.02.2000 के संदेह बिंदु संख्या 1 के उत्तर में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है। हालाँकि यदि कुछ निशिचत कारणों से समान वेतनमान में होते हुए भी पदानुक्रम में फीडर और प्रमोशनल ग्रेड दोनों को दो जिला स्तरों के रूप में बनाए रखना अपरिहार्य है, जिससे एक ही ग्रेड में उच्च पद पर पदोन्नति की अनुमति देने का प्रावधान किया जा सके, वित्तीय उन्नयन का लाभ

	मिलना अपरिहार्य है। यही कारण है कि एसीपीएस के तहत भी मौजूदा पदानुक्रम के अनुसार वित्तीय उन्नयन की अनुमति दी जानी चाहिए । अगले प्रमोशनल ग्रेड से अधिक स्केल में वित्तीय उन्नयन की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालाँकि, जैसा कि एसीपी योजना की शर्त संख्या 9 (डीओपी एंड टी ओ.एम. दिनांक 10.02.2000 के अनुसार) में निर्दिष्ट है, ऐसे मामलों में वेतन एफआर 22(1)(ए)(1) के प्रावधानों के तहत न्यूनतम रु. 100/- लाभ के अधीन तय किया जाएगा।

11. एसीपीएस और प्रासंगिक नियम और शर्तों को देखने पर यह स्पष्ट है कि यह योजना केवल उन पात्र सरकारी कर्मचारियों को उच्च वेतनमान/वित्तीय लाभ प्रदान करती है जो नियमित पदोन्नति से वंचित रह जाते हैं। इस तरह के अभाव के लिए, उन्हें व्यक्तिगत आधार पर मौद्रिक लाभ प्रदान करके मुआवजा दिया जाता है, लेकिन यह कार्यात्मक/नियमित पदोन्नति के दायरे में नहीं आता है और नए पदों के सृजन की आवश्यकता नहीं है। योजना के तहत वित्तीय उन्नयन को संबंधित सरकारी कर्मचारी के सेवा करियर में नियमित पदोन्नति में गिना जाएगा। योजना कोई के तहत दो वित्तीय उन्नयन केवल तभी उपलब्ध होंगे जब निर्धारित अवधि (12 और 24 वर्ष) के दौरान कोई नियमित पदोन्नति का लाभ एक कर्मचारी द्वारा नहीं उठाया गया है। शर्त संख्या 7 के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए नए पद सृजित किए बिना किसी संवर्ग/पदों की श्रेणी में मौजूदा पदानुक्रम के अनुसार ही अगले उच्च ग्रेड में वित्तीय उन्नयन स्वीकार्य है। पृथक पदों के मामले में जहां कोई परिभाषित पदानुक्रमित ग्रेड नहीं है, व्यावहारिक समाधान का संकेत दिया गया है।

शर्त इस बात पर जोर देती है कि पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा गतिशील आधार पर वित्तीय उन्नयन (यानी संबंधित वेतनमान में पद

सृजित किए बिना) की सिफारिश केवल अलग-अलग पदों के पदधारियों के लिए की गई है, जिनके पास पदोन्नति का कोई रास्ता नहीं है। शर्त संख्या 7 पिछले दो वाक्यों में स्पष्ट शर्त के माध्यम से अधिकरण द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को पुष्ट करती है - "जो पद एक अच्छी तरह से परिभाषित कैडर का हिस्सा हैं, वे 'गतिशील' आधार पर एसीपी योजना के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे। एसीपी का लाभ उन्हें मिलता है। एसीपी के लाभो को केवल मौजूदा पदानुक्रमित संरचना के अनुरूप ही दिया जाएगा।"

12. शर्त संख्या 9 इंगित करती है कि प्रासंगिक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार एसीपी योजना के तहत उन्नयन पर वेतन के पुनर्निर्धारण पर न्यूनतम 100/- रु. का लाभ मिलना चाहिए। यह भी स्पष्ट करता है कि एसीपी योजना के तहत वित्तीय लाभ अंतिम है और नियमित पदोन्नति के समय, यानी उच्च ग्रेड में एक कार्यात्मक पद पर पोस्टिंग के समय कोई वेतन निर्धारण लाभ नहीं मिलेगा। शर्त संख्या 10 आगे स्पष्ट करती है कि एसीपीएस के तहत लाभ सशर्त है और संबंधित कर्मचारी को बाद में रिक्ति होने पर नियमित पदोन्नति के लिए अयोग्य स्वीकृति दी गई मानी जाएगी।

13. स्पष्टीकरण 52 कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी किया गया वह दिनांक 18.7.2001 की एसीपीएस की शर्तों एवं प्रावधानों के अनुरूप पाया गया है। उच्च न्यायालय ने यह विचार करके गलती की है कि यह

एसीपीएस में बुनियादी प्रावधानों को प्रतिस्थापित करता है। वास्तव में, स्पष्टीकरण, सर्वोत्तम रूप से, योजना के प्रावधानों का पूरक है और इसलिए इसे गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

14. ऊपर देखी गई एसीपीएस में शर्तों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एसीपीएस के तहत वित्तीय उन्नयन न केवल बदले में है, बल्कि नियमित पदोन्नति की प्रत्याशा में भी है। ऐसी स्थिति में, अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थीयों द्वारा दावा किया गया वित्तीय उन्नयन प्रदान नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अधिकारी को पदानुक्रम में वास्तविक पदोन्नति पर मिलने वाले लाभ से तुलना में अधिक होगा। परिणाम स्वरूप, प्रत्यर्थीयों के ऐसे दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए कि वास्तविक पदोन्नति पर बेहतर दावे करने वाले व्यक्तियों को केवल DANICS के ग्रेड II (ग्रुप बी) के पदोन्नति पद पर ही नियुक्त किया जा सकता है, अर्थात रु. 6500-200-10500/- जबकि प्रत्यर्थीयों, उनके दावों को स्वीकार किए जाने पर,10000-325-15200/- रुपये का उच्च वेतनमान मिलेगा जो केवल DANICS में ग्रेड I (ग्रुप ए) के लिए उपलब्ध है। ऐसी स्थिति निष्पक्षता के नियमों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा I जैसा कि अधिकरण द्वारा एसीपीएस के खंड 7 के साथ अन्य प्रासंगिक खंडों के साथ-साथ पूर्वोक्त आधार के आधार पर किया गया था प्रतिवादियों

के दावे को खारिज करना पड़ा । राज्य की ओर से निष्पक्षता एक संवैधानिक दायित्व है और इसलिए एक वेतनमान, जो ग्रेड । (DASS) से संबंधित नियमित रूप से पदोन्नत कर्मचारी को पदोन्नति के लिए स्थापित पदानुक्रम के कारण नहीं मिल सका, इस दलील पर प्रतिवादियों जैसे लोगों को नहीं दिया जा सकता है। मौजूदा पदानुक्रम के अनुसार जिस वित्तीय उन्नयन के वे हकदार पाए जाते हैं वह बहुत कम है। यदि प्रत्यर्थीयों के दावे को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किए गए आधार पर अनुमति दी जानी थी कि वित्तीय उन्नयन वास्तविक और पर्याप्त होना चाहिए, तो भविष्य में नियमित पदोन्नति के मामले में, प्रतिवादियों जैसे कर्मचारियों को उनके वेतनमान में कमी करनी होगी क्योंकि वास्तविक या स्थापित पदानुक्रम के अनुसार कार्यात्मक पदोन्नति केवल DANICS में ग्रेड II (ग्रुप बी) के पद पर ही हो सकती है।

15. नियमित पदोन्नतियों के लिए अत्यधिक अनुचित होने के अलावा, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एसीपीएस में शर्तों और उससे जुड़ी शर्तों द्वारा परिलक्षित सरकारी नीति का भी उल्लंघन करेगा। मामले के तथ्यों में, संबंधित सरकार के नीतिगत निर्णय को उलटने या संशोधित करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। उपरोक्त मुद्दे पर अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा एस

अरुमुघम (सुप्रा) के मामले में दिए गए फैसले पर सही ढंग से भरोसा किया गया है।

16. जहां तक प्रत्यर्थीयों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा भरोसा किए गए फैसले का सवाल है, यह पाया गया है कि प्रकाश चंद (सुप्रा) के मामले में तय किए गए तथ्य और मुद्दे काफी अलग थे। उस मामले में अनुच्छेद 14 और 16 के तहत निष्पक्षता और संवैधानिक दायित्व का मुद्दा नहीं उठता था। जहां तक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सुप्रा) के मामले में फैसले का सवाल है, अदालत ने उस मामले में पाया था कि प्रतिवादी- सिविल इंजीनियर को अन्याय का सामना करना पड़ा था और वह 20 वर्षों तक एक ही पद पर बना रहा था और इसलिए, इस न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, हालांकि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा उस मामले में प्रतिवादी को दी गई पदोन्नति गलत प्रतीत हुई। हालाँकि, वर्तमान मामले में, प्रतिवादियों द्वारा दावा किया गया लाभ केवल उन तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि, एसीपीएस द्वारा प्रतिबिंबित सरकार की नीति को आने वाले समय में गलत व्याख्या का सामना करना पड़ेगा और परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 द्वारा गारंटीकृत निष्पक्षता के नियमों का उल्लंघन होगा।

17. ऊपर की गई चर्चाओं के आलोक में, हम अपीलकर्ताओं के मामले में योग्यता पाते हैं। अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपील के तहत उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया गया है और परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थीयों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाएं खारिज कर दी जाएंगी। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

अपील की अनुमति.

यह अनुवाद आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सचिन गुप्ता (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारीक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।